**MOST-URGENT**
**OUT - TODAY**

राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/22678 दिनांक :– 19 अप्रेल, 2020

## :: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

मुझे अवगत करवाया हैं कि भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के विजय सिंह पथिक नगर में निवासरत व्यक्ति में नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) का संक्रमण पाये जाने से विजय सिंह पथिक नगर क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना होकर उक्त क्षेत्र के आस–पास के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं।

उक्त परिस्थतियो से मेरा समाधान हो गया हैं एवं मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर विजय सिंह पथिक नगर क्षेत्र के 01 किलोमीटर क्षेत्र में निवासरत नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं केन्द्रीय लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः **मैं, राजेन्द्र भट्ट, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** पूर्व में दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यालय के आदेश क्रमांक 22620 दिनांक 14.04.2020 से भीलवाड़ा शहर के लिये जारी सख्त निषेधाज्ञा की निरन्तरता में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत **भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के विजय सिंह पथिक नगर क्षैत्र की परिधि को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया–जनसाधारण का सख्ती से आगमन–निर्गमन निषेध)** घोषित कर निषेधाज्ञा जारी करता हूँ।

मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957, National Disaster Manegment Act 2005** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

........ 2

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु भीलवाडा शहर की सम्पूर्ण शहरी सीमा क्षेत्र में मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज **दिनांक 19 अप्रेल 2020 को दोपहर 2.00 बजे से अग्रिम आदेश तक** प्रभावी रहेगा।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

**प्रतिलिपि** –निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन / शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. जिला रसद अधिकारी / उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां / महाप्रबन्धक, उपभोक्ता भण्डार लि0 भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं सामग्री का उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में निवासरत परिवारों को मौके पर ही उपलब्धता बाबत् आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
11. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
12. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में विशेष कार्ययोजना तैयार कर समुचित प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।
15. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला–भीलवाड़ा
16. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
17. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा
18. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
19. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा–जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

:: Nitin :: Covid-19/ CRPC-144